क्रम संख्या–107

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 अगस्त, 2004 ई0

श्रावण 14, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 211/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004

देहरादून, 05 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 04–08–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2004)

अधिनियम

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन हेतु भारतीय गणतंत्र के 55वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

धारा 3–कक का संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3–कक में, शब्द और अंक "धारा 3–क की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में यथा विनिर्दिष्ट आठ प्रतिशत की दर पर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 3–क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट दस प्रतिशत की दर पर" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1–ख) में शब्द "दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में शब्द "प्रतिमास दो प्रतिशत की दर से ब्याज" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज" रख दिये जायेंगे।

(2) मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1–ख) में शब्द "डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे।

धारा 8–घ का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 8–घ की उपधारा (7) में शब्द "अठ्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने योग्य हैं" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा:–

(क) उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति जो अपर जिला न्यायाधीश से निम्न पद पर न हों या न रहे हों।

(2) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (2) को निकाल दिया जायेगा।

(3) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (10) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) एवं उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे:–

(1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो;

(2) किसी अन्य मामले में, या किसी ऐसे मामले में, जहाँ 9 जुलाई, 1997 से पूर्व प्रस्तुत कोई अपील जो अपर कमिश्नर (अपील) के आदेश के विरुद्ध न हो, 31 जुलाई, 2004 को लम्बित रही हो और विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड रुपये दो लाख से अधिक न हो, एक सदस्यीय पीठ द्वारा किया जायेगा।

धारा 29 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में शब्द "ऐसी धनराशि पर अठ्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "ऐसी धनराशि पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।